न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

:: आदेश ::

क्रमांकः– 17/अ–59/2017–18/12265 बैतूल दिनांक 13/11/2017

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, सरपंच ग्राम पंचायत सर्रई जनपद पंचायत मुलताई द्वारा ग्राम सर्रई में आवासहीन परिवारो को आवासीय पट्टा प्रदान करने के लिए, मौजा सर्रई स्थित खसरा नंबर 337 रकबा 0.405 हेक्टेयर मद पहाड़ चट्टान को आबादी घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

2– सरपंच ग्राम पंचायत सर्रई के उक्त प्रस्ताव के आधार पर नायब तहसीलदार मुलताई (दुनावा वृत्त) द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाई गई है:–

(1)– मौजा सर्रई स्थित खसरा नंबर 337 रकबा 0.405 हेक्टेयर मद पहाड़ चट्टान की नोईयत परिवर्तन कर आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)– नायब तहसीलदार मुलताई के समक्ष प्रकरण विचाराधीन रहने के दौरान हल्का पटवारी सर्रई द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि, मौजा सर्रई स्थित खसरा नंबर 236 रकबा 0.433 हेक्टेयर मद सड़क में से 0.202 हेक्टेयर भूमि पर भी कई वर्षो से मकान बनाकर कुछ लोग निवासरत है, अतः इस भूमि को भी आबादी घोषित किया जाना उचित होगा। हल्का पटवारी के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर नायब तहसीलदार मुलताई द्वारा खसरा नंबर 236 रकबा 0.433 हेक्टेयर मद सड़क में से 0.202 हेक्टेयर भूमि का नोईयत परिवर्तन कर आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(3)– दिनांक 15–8–2016 को आयोजित ग्राम सभा में, सर्वसम्मति से दो पृथक पृथक प्रस्ताव पारित किए जाकर मौजा सर्रई में स्थित खसरा नंबर 337 रकबा 0.405 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 237 रकबा 0.433 हेक्टेयर मद रास्ता में से 1/2 एकड़ भूमि का मद परिर्वतन किया जाकर आबादी घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

(4)– राजस्व अभिलेख खसरा वर्ष 2015–16 के अनुसार मौजा सर्रई स्थित खसरा नंबर 337 रकबा 0.405 हेक्टेयर भूमि पहाड़ चट्टान मे दर्ज है, तथा खसरा नंबर 236 रकबा 0.433 हेक्टेयर भूमि सड़क मद में दर्ज है। अधिकार अभिलेख के अनुसार खसरा नंबर 337 रकबा 0.405 हेक्टेयर पहाड़ चट्टान मद में एवं खसरा नंबर 236 रकबा 0.433 हेक्टेयर भूमि सड़क मद में दर्ज है।

(5)— नायब तहसीलदार मुलताई द्वारा मौजा सर्रई स्थित खसरा नंबरखसरा नंबर 337 रकबा 0.405 हेक्टेयर मद पहाड़ चट्टान एवं खसरा नंबर 237 रकबा 0.433 हेक्टेयर मद सड़क में से 0.202 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने की अनुशंसा सहित प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (रा0) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई द्वारा नायब तहसीलदार मुलताई के मत से सहमत होते उपरोक्तानुसार दोनो खसरा नंबर की भूमि का मद परिवर्तन करके आबादी घोषित करने की अनुशंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है।

3— मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—237 (1) के अनुसार कलेक्टर दखलरहित भूमि को निस्तार के अधिकार के प्रयोग के लिए पृथक रख सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक— कमांक 1/2011/अधी./10842, दिनांक 8—11—2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांकः— 2489 दिनांक 25—2—2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4— प्रकरण का समग्र अवलोकन किया। नायब तहसीलदार मुलताई (दुनावा वृत्त)एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई द्वारा, मद परिवर्तन के लिए प्रस्तावित उपरोक्तानुसार दोनो खसरा नंबरो में खसरा 236 रकबा 0.433 हेक्टेयर सड़क मद की भूमि हैं। प्रतिवेदक अधिकारियो द्वारा इस खसरा नंबर के संबंध में निम्न बिन्दुओ पर स्पष्ट नहीं की गई हैः—

(1)— सड़क मद की प्रश्नाधीन भूमि की चौड़ाई कितनी है?

(2)— इस खसरा नंबर पर ग्रामवासियो द्वारा मकान बनाए जाने के उपरांत मौके पर कितनी चौड़ाई की भूमि रास्ते के उपयोग हेतु शेष बचती है?

(3)— मौके पर रास्ता के उपयोग हेतु उपलब्ध भूमि की चौड़ाई पर्याप्त है अथवा नहीं?

(4)— सड़क मद की भूमि में से मद परिवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि को नक्शे में चिन्हित नही किया गया है ?

(5)— प्रस्तावित किए अनुसार, सड़क मद की भूमि में से 0.202 हेक्टेयर भूमि का मद परिवर्तन किए जाने की दशा में भविष्य में रास्ता प्रयोजन के उपयोग तथा आवागमन में कोई बाधा तो उत्पन्न नहीं होगी।

5— प्रकरण में उपरोक्त बिन्दुओ पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण, नायब तहसीलदार मुलताई एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई द्वारा प्रस्तावित किए अनुसार सड़क मद की भूमि खसरा नंबर 236 रकबा 0.433 हेक्टेयर मे से 0.202 हेक्टेयर

को आबादी घोषित किए जाने में वैद्यानिक कठिनाई होने के कारण वर्तमान में इस खसरा नंबर की भूमि को आबादी घोषित जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

6— अतएव उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति एवं नायब तहसीलदार मुलताई (दुनावा वृत्त) /अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा सर्रई तहसील मुलताई स्थित केवल एक खसरा नंबर 337 रकबा 0.405 हेक्टेयर मद पहाड़ चट्टान को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास स्वीकृत किया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियो को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाए। नायब तहसीलदार मुलताई (दुनावा वृत्त) को निर्देशित किया जाता है कि, सड़क मद की भूमि खसरा नंबर 236 को आबादी घोषित किए जाने के संबंध में पृथक से प्रकरण तैयार किया जाकर, आदेश की कण्डिका 4 (1) से लेकर 4(5) में उल्लेखित बिन्दुओ पर स्पष्ट अभिमत सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.

पृ0क्र0:— 17/अ—59/2017—18/ 12265 बैतूल दिनांक 13/11/2017

प्रतिलिपिः—

1— अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई ।

2— नायब तहसीलदार मुलताई (दुनावा वृत्त) ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।

3— जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

4— जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

5— सचिव ग्राम पंचायत सर्रई जनपद पंचायत मुलताई की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.
बैतूल